

टीवी चैनलों हेतु नए मानदंड

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दशिया-नरिदेश जारी कर नए **अपलकिगि** और **डाउनलोडगि** नयिम नरिदषिट कएि हैं ।

- इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कथिा है जसिमें यह सुझाव दथिा गथिा है ककिसिी भी तरह कप्रसारण केवल प्रसार [भारती के माध्यम से](#) ही कथिा जाए ।

नए प्रावधान:

- **राष्ट्रीय/सार्वजनिक हति में सामग्री प्रसारति करने की बाध्यता:**
 - टेलीवज़िन चैनलों को हर दनि 30 मनिट के लथि राषट्रहति या सार्वजनिक सेवा में सामग्री प्रसारति करनी होगी ।
 - बहरहाल, ये दायतिव खेल, वन्य जीवन और वदिशी चैनलों के लथि लागू नहीं होंगे ।
 - **राषट्रीय महत्त्व के वषियों में शामिल हैं:**
 - शकिषा और साकषरता का प्रसार
 - कृषा और ग्रामीण वकिास,
 - स्वास्थय और परवार कल्याण,
 - वजिज्ञान और प्रौद्योगकिी,
 - महलिाओं का कल्याण
 - समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण
 - पर्यावरण एवं सांसकृतकि वरिसत और राषट्रीय एकता का संरक्षण ।
- **कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लथि कोई पूर्व अनुमति नहीं:**
 - कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लथि अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दथिा गथिा है; केवल लाइव टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा;
 - स्टैंडर्ड डेफनिशिन (SD) से हाई डेफनिशिन (HD) या इसके वपिरीत भाषा में परविरतन या ट्रांसमशिन के मोड में रूपांतरण के लथि पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है; केवल पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।
- **भारतीय टेलीपोर्ट द्वारा वदिशी चैनलों को अपलकि करना:**
 - LLPs/कंपनियों को भारतीय टेलीपोर्ट से वदिशी चैनलों को अपलकि करने की अनुमति दी जाएगी जो रोज़गार के अवसर पैदा करेगा तथा भारत को अन्य देशों के लथि टेलीपोर्ट-हब बनाएगा ।
- **सरलीकरण और युक्तकिरण:**
 - दोहराव और सामान्य मापदंडों से बचने के लथि दशिया-नरिदेशों की संरचना को व्यवस्थति कथिा गथिा है ।
 - जुर्माने की धाराओं को युक्तिसंगत बनाया गथिा है और वर्तमान में एकसमान जुर्माने की तुलना में वभिनिन प्रकार के उल्लंघनों के लथि जुर्माने की अलग प्रकृतिका प्रस्ताव कथिा गथिा है ।

[स्रोत: द हद्रि](#)